रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19092020-221840
SG-DL-E-19092020-221840

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2020/भाद्र 27, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 137
No. 192]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2020/BHADRA 27, 1942	[N. C. T. D. No. 137

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उच्च शिक्षा निदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 18 सितम्बर, 2020

फा. सं. डीएचई. 18(14)/एसएफआरसी(4th)/2017–18/1160–70.—जैसा कि दिल्ली व्यवसायिक महाविद्यालय या संस्थान (समानता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु केपिटेशन शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश के विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न पाठ्यक्रम करवाने वाले निजी प्रबंधाधीन संस्थाओं में पाठ्यक्रम अध्ययन करने के लिये शुल्क निर्धारित करने के लिये और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सौंपे गए कार्यों के सहज निष्पादन के लिये दिनांक 17 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं डीएचई 18(6)/एसएफआरसी/ 2016–17/206–217 के अनुसार राज्य शुल्क विनियामक समिति गठित की थी । उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (3) के तहत स्वीकार किया था और 02 अगस्त 2019 को उसे अधिसूचित कर दिया था।

यह शुल्क शैक्षणिक वर्ष 2019–20 में प्रवेशित छात्रों के लिए लागू होगा। इसके अलावा चतुर्थ राज्य शुल्क विनियामक समिति ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें बचे हुए पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित शुल्क संरचना की सिफारशें हैं ।

क्रम सं	**संस्थान का नाम**	**पाठ्यक्रम**	**शैक्षणिक वर्ष 2019-20 तथा उससे आगे के लिए प्रति वर्ष संस्तुत शुल्क (रू.)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज	बी0कॉम (आनर्स)	83800/-
2	भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी	बी0बी0ए0	70000/-
3	विवेकानन्दा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज	बी0कॉम (आनर्स)	83800/-
4	ट्रिनीटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज	बी0ए0 एल0एल0बी0	89400/-
5	गुरू नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट	बी0कॉम (आनर्स)	63800/-
6	लिंगाया ललिता देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस	बी0कॉम (आनर्स)	54000/-

अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (3) और (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एत्द द्वारा अधिसूचित करते हैं कि उपरोक्त प्रस्तावित शुल्क शैक्षणिक वर्ष 2019–20 से तथा उससे आगे लागू होगा, जैसा कि अन्य संस्थाओं/पाठयक्रमों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया गया है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

एच. राजेश प्रसाद, प्रधान सचिव (उच्च शिक्षा)

DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 18th September, 2020

F. No. DHE 18(14)/SFRC (4th)/2017-18/1160-70.—Where as in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007 (Delhi Act 8 of 2007), the Government of National Capital Territory of Delhi had constituted State Fee Regulatory Committee vide notification number F.DHE 18(6)/SFRC/2016-17/206-217 dated the 17th January, 2017 for the purpose of determining fee for pursuing courses in privately managed institutions offering different courses in the National Capital Territory of Delhi and to perform the smooth functions assigned in the said Act. The said committee had submitted its report, which had been considered by the Government under sub section (3) of section 6 of the said Act and notified the same on 02nd August, 2019.

The fees shall be applicable for students admitted in the Academic Year 2019-20. Further, 4th State Fee Regulatory Committee has submitted its supplementary report with the recommendations of following fee structure for the left out courses :-

Sl. N.	Name of Institute	Course	Fee Recommended per annum for the AY 2019-20 onwards (Rs.)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
(1)	Delhi Institute of Advance Studies	B. Com (H)	83800/-
(2)	Bhagwan Parshuram Institute of Technology	BBA	70000/-
(3)	Vivekananda Institute of Professional Studies	B. Com (H)	83800/-
(4)	Trinity Institute of Professional Studies	BA LLB	89400/-
(5)	Guru Nanak Institute of Management	B. Com (H)	63800/-
(6)	Lingaya's Lalita Devi Institute of Management & Science	B. Com (H)	54000/-

Now, in exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (13) of section 6 of the said Act, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby notifies that the above proposed fees shall be applicable from the academic year 2019-20 onwards as is the case with other colleges/courses notified by the Governor of the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
H. RAJESH PRASAD, Principal Secy. (HE)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA